

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—17/2018 (2018/00041) वाद पत्र

अनवान

1. भैरूसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. प्रेमकंवर पत्नि पाबुसिंह राजपूत निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. ललित सुराणा —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 18.10.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 18.08.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भटेवर पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात संख्या 431 रकबा 0.60 है० गे.मु. सड़क, आराजी संख्या 436 रकबा 0.46 है०, आराजी संख्या 437 रकबा 0.01 है० गे.मु. चाह, आराजी संख्या 438 रकबा 0.01 है० गे.मु. पुरजा, आराजी संख्या 440 रकबा 0.08 है०, आराजी संख्या 446 रकबा 0.13 है०, आराजी संख्या 447 रकबा 0.01 है० गे.मु. खड्डा, आराजी संख्या 457 रकबा 1.48 है०, आराजी संख्या 465 रकबा 1.00 है० कुल कित्ता 9 कुल रकबा 3.78 है० भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड में अलग राजस्व खाता खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 12.10.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।



आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भटेवर तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 436 रकबा 0.46 है, आराजी संख्या 440 रकबा 0.08 है, आराजी संख्या 457/3 रकबा 0.69 है, आराजी संख्या 465/2 रकबा 0.33 है, कुल किता 4 कुल रकबा 1.56 है, भूमि भैरुसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 446 रकबा 0.13 है, आराजी संख्या 457/2 रकबा 0.76 है, आराजी संख्या 465/1 रकबा 0.67 है, कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 है, भूमि प्रेमकंवर पत्नि पाबूसिंह राजपूत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 431 रकबा 0.60 है, सड़क, संख्या 437 रकबा 0.01 है, गे.मु.आ.चा, संख्या 438 रकबा 0.01 है, पूरजा, संख्या 447 रकबा 0.01 है, खड़डा, संख्या 457/1 रकबा 0.03 है, कुल किता 5 कुल रकबा 0.66 है, भूमि शामलाती रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
18.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:—17/2018 (2018/00041) वाद पत्र

अनवान

1. भैरूसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. प्रेमकंवर पत्नि पाबूसिंह राजपूत निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भटेवर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 436 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 440 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 457/3 रकबा 0.69 है0, आराजी संख्या 465/2 रकबा 0.33 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.56 है0 भूमि भैरूसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 446 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 457/2 रकबा 0.76 है0, आराजी संख्या 465/1 रकबा 0.67 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 है0 भूमि प्रेमकंवर पत्नि पाबूसिंह राजपूत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 431 रकबा 0.60 है0 सड़क, संख्या 437 रकबा 0.01 है0 गो.मु.आ. चा, संख्या 438 रकबा 0.01 है0 पूरजा, संख्या 447 रकबा 0.01 है0 खड्डा, संख्या 457/1 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.66 है0 भूमि शामिल रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



Sun
18.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा) अधिकारी

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा